

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 1-95/2008/20-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/8/08

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।

विषय:-अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए गए शिक्षाकर्मियों एवं नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षक (व्यायाम/संगीत) के संबंध में।

-00-

विभाग के आदेश क्र० एफ 1-4/2007/बीस-1, दिनांक 28.6.07 के द्वारा दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-29/2008/20-1, दिनांक 03.05.08 के द्वारा भर्ती नियम 2001 एवं संशोधित नियम 2003 के अधीन नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में जारी वस्तुपरक मूल्यांकन के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-42/2008/20-1, दिनांक 15.04.07 में शिक्षण-प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधिधारी संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने की एक अनिवार्यता है। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के भर्ती नियमों में नियुक्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत उच्चतर प्रमाण पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण पत्र न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (संगीत/तबला शिक्षक) के संबंध में उच्चतर प्रमाण पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत/तबला वादन का प्रमाण पत्र न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है।

अतः संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक/संगीत शिक्षक/तबला शिक्षक) की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि की अनिवार्यता नहीं होगी। इसी प्रकार ऐसे शिक्षाकर्मियों (व्यायाम/संगीत/तबला वादन) जिनका संविलियन अध्यापक संवर्ग में किया गया है, को वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। इस संबंध में पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

(आर.आर.एस.मरावी)

अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 1-95/2008/20-1

भोपाल, दिनांक 25/8/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा.मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी.म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल
4. आयुक्त जनसंपर्क विभाग भोपाल
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।



अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::